राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

दिनांक 15.7.2013 को सांय 5.30 बजें माननीय मुख्यसचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 15.7.2013 को सांय 5.30 बजें माननीय मुख्यसचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन समिति कक्ष प्रथम, शासन सचिवालय में किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगणों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में सर्वप्रथम शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने पूर्व में लिये गये निर्णयों का कार्योत्तर अनुमोदन करने एवं अन्य बिन्दुओं पर प्रस्तुतिकरण दिया। विचार विमर्श के पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :–

1. **पूर्व निर्णयों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया :–**

- विभाग द्वारा दिनांक 14.05.2010 को अभावग्रस्त जिलों में चाराडिपों के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए ग्राम पंचायतो को चाराडिपो/पशु शिविर संचालन के लिए विभागीय दिशा–निदेशों में शिथिलता देते हुए नगद निकासी की सीमा 1000/–रू. से बढ़ाकर 1.00 लाख रू. की गई।
- उक्त शिथिलता के आदेश का प्रधान महालेखाकार, जयपुर के ऑडिट दल ने ओडिट पैरा बनाकर नगद भुगतान बढ़ाकर 1.00 लाख रू. तक किये जाने के निर्देशों की स्वीकृति वित्त विभाग से या राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से लिये जाने के निर्णय की प्रति चाही गई।
- संवत 2066 में राहत गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए अर्थात चारा डिपो/पशु शिविरों के संचालन हेतु नगद राशि की सीमा 1000/–रू. से 1.00 लाख रू. किये जाने के आदेश का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। भविष्य में अग्रिम राशि की सीमा 1000/– रूपये रखने का भी निर्णय लिया गया।

2. **उत्तराखण्ड में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों हेतु किए गये निम्न राहत कार्यो एवं उन पर किए गये व्यय का अनुमोदन किया।**

- राजस्थान सरकार द्वारा उत्तराखण्ड बाढ़ में फंसे हुए व्यक्तियों के बचाव हेतु देहरादून, ऋषिकेश एवं हरिद्वार में राहत शिविर चलाये गये जिसमें प्रभावित व्यक्तियों के भोजन, आवास की व्यवस्था की गई।
- उक्त राहत शिविरों में राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गयी।

- राज्य सरकार द्वारा बाढ़ बचाव कार्य हेतु दो हेलीकॉप्टर उत्तराखण्ड भिजवाये गये।
- उत्तराखण्ड की यात्रा पर गये हुये बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को उत्तराखण्ड में स्थापित राज्य सरकार के राहत शिविरों से वाहन द्वारा उनके निवास पर सुरक्षित पहुँचाया गया।
- निवास स्थान पर पहुँचाये गये प्रत्येक यात्री को 2000/–रू. प्रति व्यक्ति तथा घायल यात्री को 5000/–रू. सहायता के रूप दिये गये।
- उत्तराखण्ड में फंसे हुए व्यक्तियों के स्वास्थ्य हेतु डाक्टर एवं नर्सेज की चिकित्सा टीम भिजवायी गई।
- उत्तराखण्ड में प्रभावित व्यक्तियों की तलाश हेतु चलाये जा रहे कॉम्बिक ऑपरेशन (Combing Operation) में सहायता हेतु राजस्थान सरकार की तरफ से पूर्व सैनिकों, पुलिस अधिकारियों, पर्वतारोही, लापता लोगों के परिजनों आदि 20 सदस्यों का दल भेजा गया।
- उत्तराखण्ड में फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित उत्तराखण्ड से राजस्थान लाने हेतु हवाई जहाज किराये पर लिया गया।
- खाद्य सामग्री एवं दवाईयां भिजवाई गई।

3. जिला कलेक्टर, बीकानेर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार पम्प सैट, मढ़ पम्प आदि क्रय किये जाने हेतु आवंटित राशि रूपये 25.00 लाख तथा जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार पम्प सैट क्रय किये जाने हेतु आवंटित राशि रूपये 07.00 लाख का अनुमोदन किया गया।

4. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर राज्य के समस्त जिलों के लिए जल भराव से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जल निकासी हेतु पम्प सैट क्रय करने हेतु आवंटित राशि रूपये 233.00 लाख का अनुमोदन किया गया।

5. जिला कलेक्टर, सीकर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार डीजल जनरेटर सेट, इलेक्ट्रिक मय मड पैनल बोर्ड पम्प सेट, पम्प सेट हेतु ट्रोली, सेक्सन पाईप मय फुटवाल्व तथा डिलीवरी पाईप क्रय करने की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

6.राज्य के अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में संचालित राहत गतिविधियां पेयजल परिवहन, चारा परिवहन तथा गौशाला/पशु शिविर संचालन करने, अनुदानित दर पर पशु आहार अनुदान उपलब्ध कराने एवं अनुग्रह सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदण्डों में प्रथमतः 30 दिवस की अवधि निर्धारित है जिसे प्रथम बार में 60 दिवस तथा भीषण अकाल की स्थिति में अधिकतम 90 दिन तक बढ़ाया जाने का प्रावधान है। राज्य में अकाल की स्थिति को देखते हुए उक्त अवधि को

पहली बार 60 दिवस तक बढ़ाया गया है एवं अधिकतम 90 दिवस तक बढ़ाया गया, उक्त निर्णयों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

7. राज्य आपदा मोचन निधि के अवशेष राशि का विनिवेश

वर्ष 2012–13 में राज्य आपदा मोचन निधि की अवशेष राशि में से रूपये 218.53 करोड़ एवं रूपये 300.00 करोड़ का विनिवेश 91 दिवसीय नीलामी योग्य ट्रेजरी बिलों में किया गया। जिन्हें परिपक्वता पर पुनः विनिवेश किया जाता रहा। जिसकी राशि पूर्ण रूप से परिपक्वता पर प्राप्त हुई।

वर्ष 2013–14 में राज्य आपदा मोचन निधि की अवशेष राशि में से रूपये 507.18 करोड़ एवं रूपये 317.61 करोड़ का विनिवेश 91 दिवसीय नीलामी योग्य ट्रेजरी बिलों में किया गया, का अनुमोदन किया गया।

8. राज्य आपदा प्रबन्धन नीति के संशोधित प्रारूप का अनुमोदन किया गया ।

दिनांक 10.02.2012 को आयोजित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में राज्य आपदा प्रबन्धन नीति का प्रारूप अनुमोदन किये जाने हेतु रखा गया था। तत्समय बैठक में निर्णय लिया गया था कि आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग यह सुनिश्चित कर लेवें कि नीति में उल्लेखित विषय आपदा प्रबन्धन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हो। आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा संशोधित प्रारूप को आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अनुरूप पाया गया है। अतः राज्य आपदा प्रबन्धन नीति के संशोधित प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

9. जन लेखा समिति की सिफारिशों पर निर्णय

I. वर्ष 1999–2000 से 2004–2005 के मध्य वायुसेना के हैलीकाप्टर के किराये के रूप में रक्षा विभाग, नई दिल्ली को राशि रूपये 80,48,250/– का भुगतान किया गया। जिस पर महालेखाकार के पैरा के जवाब को परीक्षण कर जन लेखा समिति ने इस व्यय बाबत भारत सरकार से मार्गदर्शन/दिशा–निर्देश प्राप्त कर जवाब देने हेतु सिफारिश की है। इस पर विचार विमर्श कर उक्त 80,48,250/–रू0 की राशि का राज्य मद से एस.डी.आर. एफ. में पुनर्भरण करने का निर्णय लिया गया।

II. विभाग द्वारा राज्य कार्यकारी समिति के अनुमोदन से 14 एम्बुलैसों के क्रय किये जाने हेतु आवंटित राशि रूपये 2.52 करोड़ को जन लेखा समिति वर्ष 2012–13 के 213 वें प्रतिवेदन में अनियमित एवं अनाधिकृत व्यय माना है। अतः एम्बूलेन्स की खरीद को भारत सरकार के अनुमोदित दिशा–निर्देशों में शामिल नहीं मानकर राज्य कार्यकारी समिति द्वारा सी.आर.एफ. से इनकी खरीद के निर्णय का औचित्य एवं कारण से अवगत कराये जाने, ई.एम.आर.आई. सिकन्दराबाद के साथ किये गये एम.ओ.यू. में 14

एम्बूलेन्स वाहनों की सी.आर.एफ. की राशि से क्रय की आवश्यकता के संबंध में अवगत कराये जाने तथा भारत सरकार को मार्गदर्शन/दिशा–निर्देश हेतु प्रकरण प्रेषित करने बाबत जन लेखा समिति ने सिफारिश की है। इस पर विचार विमर्श कर 14 एम्बुलैंस क्रय किये जाने पर व्यय राशि रूपये 2.52 करोड़ के संबंध में भारत सरकार से मार्गदर्शन/दिशा–निर्देश प्राप्त करने के संबंध में निर्णय लिया गया।

III. वर्ष 2008 में हुई अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य कार्यकारी समिति के अनुमोदन से जिला कलेक्टर दौसा को आवंटित 1.86 करोड़ की राशि के सम्बन्ध में जन लेखा समिति की सिफारिश में भारत सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने तथा आवंटन की गई राशि का औचित्य से अवगत कराने हेतु लिखा है।

इस पर विचार विमर्श कर क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनरूद्वार एवं मरम्मत पर व्यय राशि रूपये 1.86 करोड़ का आवंटन किये जाने के प्रकरण का भारत सरकार को मार्गदर्शन/दिशा निर्देश हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(कुलदीप रांका)

शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकःएफ.1(1)(5) आ.प्र.एवं सआ/सामान्य/III/2007/ 10733-39 जयपुर, दिनांक 23.7.13

1. निजी सचिव एवं उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, (ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज) विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।

23/7.
संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट–अ

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15.07.2013 में उपस्थित अधिकारीगण।

क्र. सं.	नाम	पदनाम एवं विभाग
1	श्री सी.एस. राजन	अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2	श्री अशोक सम्पतराम	अति. मुख्य सचिव, गृह
3	श्री ओ.पी. सैनी	प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग
4	श्री गोविन्द शर्मा	प्रमुख शासन सचिव, वित्त
5	श्री कुलदीप रांका	शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
6	डा. बी.आर. मीणा	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (जन स्वास्थ्य)
7.	श्री श्याम लाल गुर्जर	संयुक्त शासन सचिव, आ.प्र. एवं सहायता